कानि0भर्ती / अति–आवश्यक / जरिये ई–मेल

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांक :– न.5(28) पु.फो / कानि.भर्ती / 2017 / 203 दिनांक :– 08 जनवरी, 2018

कानि0 भर्ती वर्ष–2017 की संशोधित विज्ञप्ति (प्रेस नोट)

इस कार्यालय की कानि0 भर्ती–2017 की विज्ञप्ति क्रमांक–3922 दिनांक 18–10–2017, संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक–5719 दिनांक 29–12–2017 एवं क्रमांक 47 दिनांक 02–01–2018 के क्रम में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने अपना आवेदन पत्र ऑनलाईन / ऑफलाईन भरे है, उन्हें अपने आवेदन पत्र में लिंग (Gender), स्हरिया / टीएसपी / सामान्य क्षेत्र / जातिवर्ग (Category) में किसी प्रकार की त्रुटि कर दी हो एवं उस त्रुटि का संशोधन कराना चाहते है; संशोधन की अनुमति दिनांक 16.01.2018 रात्रि 12:00 बजे तक दी जाती है। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी लिंग (Gender), सहरिया / टीएसपी / सामान्य क्षेत्र / जातिवर्ग में संशोधन उपरान्त परीक्षा शुल्क एवं अधिकतम आयु सीमा (जन्मतिथि) प्रभावित होती है, वो अपना प्रथम आवेदन पत्र निरस्त करवाकर पुनः ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। प्रथम आवेदन पत्र रद्द करवाने के सम्बन्ध में **हेल्प लाईन नं0–9119801911 / 9119801912** पर सम्पर्क करते हुए, E-Mail ID:-rajpolhelpdesk@ gmail.com के द्वारा करा सकते है, जो अभ्यर्थी ई–मेल द्वारा आवेदन निरस्त नही करा सकते वो अपना आवेदन पत्र लिखित में महानिरीक्षक पुलिस, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर कार्यालय में व्यक्तिशः / डाक द्वारा भिजवा सकते हैं। प्रथम आवेदन पत्र रद्द कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 16–01–2018 को कार्यालय समय तक ही स्वीकार होगें।

भूतपूर्व सैनिक के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाती है कि सेना से सेवानिवृत उपरान्त पीपीओ नम्बर / पेन्शन डायरी प्राप्त अभ्यर्थी ही भूतपूर्व सैनिक कोटे में पात्र माने जावेगें। भूतपूर्व सैनिक के बच्चे / आश्रित को इस कोटे का लाभ देय नहीं होगा। ऐसे बच्चे / आश्रित जो भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपना आवेदन फार्म ऑनलाईन / ऑफलाईन भरे है, वो इस सम्बन्ध में ऑनलाईन आवेदन पत्र ई–मित्र / वैबसाईट पर संशोधन करा सकते है। ऑफलाईन भरे गये आवेदन पत्रों में उपरोक्त संशोधन हेतु संबंधित कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जावेगें। उपरोक्त समस्त संशोधन दिनांक 16–01–2018 रात्री 12 बजे तक करा सकते हैं।

इसके बाद किसी भी तरह का संशोधन / निरस्त हेतु आवेदन स्वीकार नही किया जावेगा। शेष दिशा निर्देश पूर्व में जारी विज्ञप्तियों के अनुसार रहेगी ।

(संजीव कुमार नार्जारी)
महानिरीक्षक पुलिस (मुख्यालय)
राजस्थान, जयपुर।